क्रम-संख्या 145

रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561
लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

इलाहाबाद, वृहस्पतिवार, 10 मई, 2012 ई0
(वैशाख 20, 1934 शक संवत्)

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ

उत्तर प्र श विद्युत नियामक आयोग (वितरण टैरिफ के अवधारण के लिये निबन्धन और शर्तें) विनियमावली, 2006 में अनुशेष/संशोधन

संख्या उ०प्र०वि०नि०आ०/सचिव/विनियमावली/240

लखनऊ: 10 मई, 2012 ई0

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा 181(2) के खण्ड (ज़ेड डी), (ज़ेड ई) एवं (ज़ेड एफ) सपठित धारा 61 एवं 62 तथा उनके अर्न्तगत प्रदत्त अन्य सभी सामर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या उ०प्र०वि०नि०आ०/सचिव/विनियमावली/06-2012 के अर्न्तगत अधिसूचित उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण टैरिफ के अवधारण के लिये निबन्धन और शर्तें) विनियमावली, 2006 में निम्न अनुशेष/संशोधन करता है।

1.1 संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ एवं व्याख्या–यह संशोधन उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण टैरिफ के अवधारण के लिये निबन्धन और शर्तें), विनियमावली, संशोधन संख्या 3, 2012 कहलायेगी।

1.2 उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण टैरिफ के अवधारण के लिये निबन्धन और शर्तें) विनियमावली, 2006 के विद्यमान प्रस्तर 6.9, निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

6.9 ईंधन लागत का समायोजन (एफ०पी०पी०सी०ए०) :

1–वसूली आवर्तिता (चक्रीय)–

वसूली चक्र त्रैमासिक होगा। मार्च को समाप्त होने वाले त्रैमास के लिये एफ०पी०पी०सी०ए० का आगणन अगले त्रैमासिक, यथा जून तक किया जायेगा। जब विचाराधीन त्रैमास के लिये उत्पादन/आपूर्तिकर्ता से ऑकड़े/बीजक तथा त्रैमास के विद्युत विक्रय के ऑकड़े उपलब्ध हो जाये तब यह जुलाई से सभी श्रेणियों के लिये लागू होगा।

2–ईंधन एवं विद्युत क्रय लागत समायोजन सूत्र (एफ॰पी॰पी॰सी॰ए॰) :

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी समस्त उपभोक्ताओं से उस तिथि से एफ॰पी॰पी॰सी॰ए॰की धनराशि की वसूली करेगा जिस तिथि को आयोग का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा। सूत्र निम्नानुसार है–

क्रम–(क) एक त्रैमास में वास्तविक एवं अनुमोदित विद्युत क्रय लागत के मध्य अन्तर का निर्धारण–

पी डी = (पी वास्तविक – पी अनुमोदित)

जबकि

पी डी = वास्तविक एवं अनुमोदित विद्युत क्रय लागत में अन्तर (रु0 करोड़ में)

पी वास्तविक = विद्युत क्रय की वास्तविक लागत (रु0 करोड़ में)

पी अनुमोदित = विद्युत क्रय की अनुमोदित लागत (रु0 करोड में)

क्रम–(ख) एक त्रैमास में अनुमोदित पारेषण एवं वितरण हानियों के विचारोपरान्त बिलिंग की गयी (ई) ऊर्जा (मि॰यू॰ में) का निर्धारण :

त्रैमास के दौरान वास्तविक विद्युत क्रय (मि॰यू॰)	एक्स (मि॰यू॰)
अनुमोदित पारेषण एवं वितरण हानियाँ	वाई %
पारेषण एवं वितरण हानियाँ (ई) के उपरान्त बिल की गयी वास्तविक मि॰यू॰	एक्स* (1–वाई/100)

क्रम–(ग) त्रैमास के प्रत्येक माह सभी उपभोक्ताओं पर भारित किये जाने हेतु अनुमोदित पारे0 एवं वितरण हानियों पर आधारित प्रति इकाई ईंधन एवं विद्युत क्रय लागत समायोजन का निर्धारण :

एफ॰पी॰पी॰सी॰ए॰ ((रु0/इकाई) = (पी डी/ई)*10

(2) यू॰ आई॰ तथा अन्य अस्वीकृत खरीदारियों के कारण विद्युत क्रय लागत में विचलन एफ॰पी॰पी॰सी॰ए॰ के अर्न्तगत आवरित नहीं होगा।

(3) एफ॰पी॰पी॰सी॰ए॰ की वसूली के उद्देश्य के लिये विद्युत क्रय लागत में विद्युत आपूर्तिकर्ताओं को पूर्व एफ॰पी॰पी॰सी॰ए॰ चक्र के दौरान भुगतान किये गये समस्त बीजक एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त की गयी जमा, बिना अवधि, जिससे वे सम्बन्धित हैं, पर विचार किये, सम्मिलित होगी।

(4) उपर्युक्त उल्लिखित सूत्र के अनुसार वसूली योग्य एफ॰पी॰पी॰सी॰ए॰ की कुल वसूली वास्तविक बिक्री के आधार पर की जायेगी तथा बिना मीटर उपभोक्ताओं के मामले में, ऐसे उपभोक्ताओ को अनुमानित बिक्री के आधार पर यह वसूली योग्य होगी जिसका आगणन ऐसी प्रणाली/यंत्रयोग, जैसा कि आयोग द्वारा इंगित किया जाय, के अनुसार होना है।

(5) एफ॰पी॰पी॰सी॰ए॰ की प्रति इकाई दर का आंकलन पैसे में अगले अंक में पूर्णांकित करने के उपरान्त किया जायगा।

(6) नकारात्मक एफ॰पी॰पी॰सी॰ए॰ मे मामले में एफ॰पी॰पी॰सी॰ए॰ शीर्ष के अर्न्तगत उपभोक्ताओं को क्रेडिट दिया जायेगा ताकि आयोग द्वारा निर्धारित आधार प्रशुल्क यथावत् प्रभावी रहे।

(7) वितरण अनुज्ञप्तिधारी त्रैमासिक आधार पर आयोग को निर्दिष्ट प्रारूप में प्रभारित एफ॰पी॰पी॰सी॰ए॰ का विवरण प्रस्तुत करेगा तथा इस अभिप्राय हेतु व्यय किये गये एफ॰पी॰पी॰सी॰ए॰ की धनराशि तथा सम्बन्धित त्रैमास के प्रत्येक माह के लिये सभी उपभोक्ताओं पर भारित एफ॰पी॰पी॰सी॰ए॰ का विवरण आगणन तथा समर्थित अभिलेखों सहित जैसा कि आयोग द्वारा सत्यापन हेतु आवश्यक हो, प्रस्तुत करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि आयोग को किया गया उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित होना चाहिये,

प्रतिबन्ध यह भी है कि अग्रेतर प्रत्येक माह एफ॰पी॰पी॰सी॰ए॰ पर किया गया व्यय तथा समस्त उपभोक्ताओं पर भारित एफ॰पी॰पी॰सी॰ए॰ का प्रदर्शन विशिष्ट रूप से वसूली केन्द्रों तथा उपभोक्ताओं से सम्पर्क रखने वाले कार्यालयों एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारी की इण्टरनेट वेबसाइट पर किया जायेगा;

प्रतिबन्ध यह भी है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने इण्टरनेट वेबसाइट पर किये गये ऐसे एफ॰पी॰पी॰सी॰ए॰ प्रभारों तथा प्रत्येक माह सभी उपभोक्ताओं पर भारित एफ॰पी॰पी॰सी॰ए॰ के आगणन के विस्तृत विवरण सहित देगा।

(8) न्यूनतम प्रभारों के मामलों में सम्बन्धित माह में न्यूनतम प्रभारों की धनराशि के अतिरिक्त उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गयी मात्र वास्तविक विद्युत उपभोग पर एफ॰पी॰पी॰सी॰ए॰ का भारण किया जायेगा।

(9) यदि उत्तर प्रदेश सरकार किसी विशेष उपभोक्ता श्रेणी के लिये एफ॰पी॰पी॰सी॰ए॰ हेतु सहायिकी देने का निर्णय लेती है, तो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार ऐसा किया जाना चाहिये। इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन के लिये अनुरोध करे तथा इसके उचित अभिलेखों का रख-रखाव करे।

(10) फिर भी, आयोग प्रस्तावित सूत्र/प्रक्रिया में यथोचित सुधार/परिवर्तन कर सकता है, अथवा यदि यह अधिक उपयुक्त होना समझा जाय ईंधन प्रभार के निर्धारण हेतु भिन्न सूत्र/प्रक्रिया अंगीकार कर सकता है।

आयोग के आदेश द्वारा,
अरुण कुमार श्रीवास्तव,
सचिव।

UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, LUCKNOW

ADDENDUMS/AMENDMENTS TO Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Distribution Tariff) Regulations, 2006

NO. UPERC/Secy/Regulation/240

***Lucknow*: Dated May 10, 2012**

In exercise of powers conferred under clause (zd), (ze) and (zf) of Section 181 (2) read with Sections 61 and 62 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other enabling powers in that behalf, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Addendum/Amendments to the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Distribution Tariff) Regulations, 2006 notified under Gazette Notification No. UPERC/Secy/Regulation/06-2012 :

1.1 Short title, Commencement and Interpretation—These amendments may be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and conditions for Determination of Distribution Tariff) Regulations, Amendment No. 3, 2012.

1.2 The existing Clause 6.9 of UPERC (Terms and Conditions for Determination of Distribution Tariff) Regulations, 2006 will be replaced by the following:

6.9 Fuel and Power Purchase Cost Adjustment (FPPCA):

1. **Recovery Periodicity (Cycle):**

The cycle will be quarterly. The FPPCA for the quarter ending March will be calculated in next quarter i.e. up to June when the data/bills from generators/suppliers and sale of energy data for the quarter under consideration are available and the same will be applicable to all categories w.e.f. July.

2. **Fuel & Power Purchase Cost Adjustment Formula (FPPCA):**

(1) The distribution licensee shall recover FPPCA amount with effect from a date which would be issued by a separate Commission's order from all consumers. The formula is as follows:

Step (A) **Determination of Difference between Actual and Approved Power Purchase Cost in a quarter**

$$P_D = (P_{actual} - P_{approved})$$

Where

P_D = Difference in Actual and Approved Power purchase cost (` Crs.)

P_{actual} = Actual cost of power purchase (` Crs.)

$P_{approved}$ = Approved cost of power purchase (` Crs.)

Step (B) Determination of (E) Energy billed (in MUs) in a quarter after considering approved T&D losses.

Actual power purchased during the quarter (MUs)	X(MUs)
Approved T&D losses	Y%
Actual MUs billed after T&D losses (E)	X* (1-Y/100)

Step (C) **Determination of Fuel & Power Purchase Cost Adjustment per unit based on approved T&D losses to be charged from all consumers each month of the quarter**

FPPCA (`/unit) = (P_D/E)*10

(2) The variation in power purchase cost due to UI and other unapproved purchases shall not be covered under FPPCA.

(3) For the purpose of recovery of FPPCA, power purchase cost shall include all the bills paid and credits received by the distribution licensee, to the suppliers of the power, during the previous FPPCA cycle irrespective of the period to which they pertain. This shall include arrears and refunds, if any, not settled earlier.

(4) The total FPPCA recoverable, as per the formula specified above, shall be recovered from the actual sales and in case of un-metered consumers, it shall be recoverable based on estimated sales to such consumers, calculated in accordance with such methodology/mechanism as may be stipulated by the Commission.

(5) Per unit rate of FPPCA shall be worked out in paisa after rounding off to the next place.

(6) In case of negative FPPCA, the credit shall be given to the consumers under the FPPCA head, so that the base tariff determined by the Commission effectively remains the same.

(7) The Distribution licensee shall submit details in the stipulated format to the Commission on a quarterly basis, the FPPCA charged and, for this purpose, shall submit such details of the FPPCA incurred and the FPPCA charged to all consumers for each month in such quarter, alongwith the detailed computations and supporting documents as may be required for verification by the Commission:

Provided that the above submission made to the Commission must be certified by a Chartered Accountant:

Provided further that the FPPCA applicable for each month shall be displayed prominently at the collection centres and the offices dealing with consumers and on the internet website of the Distribution Licensee:

Provided that the Distribution Licensee shall put up on his internet website such details of the FPPCA incurred and the FPPCA charged to all consumers for each month along with detailed computations.

(8) In case of Minimum Charges, FPPCA shall be charged only on actual units consumed by the consumer during the relevant month in addition to the Minimum Charges amount.

(9) In case the Government of Uttar Pradesh decides to provide subsidy on FPPCA to a particular consumer category then, it should do the same as per the provisions of Section 65 of Electricity Act, 2003. It shall be the responsibility of the licensee to seek prior approval of the State Government in this regard and maintain appropriate record of the same.

(10) The Commission may however suitably modify/change the proposed formula/procedure or adopt a different formula /procedure for the assessment of fuel surcharge if it considers it to be more appropriate.

By order of the Commission,
ARUN KUMAR SRIVASTAVA,
Secretary.

पी0एस0यू0पी0--12 असाधारण गजट--12-07-2012--1597 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।